कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं. : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-15/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रायाग

जिला- चमोली

विषय : क्षेत्र पंचायत कर्णप्रायाग का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **छः** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 15/2016-17/ दिनांक: /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, चमोली

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 के लिये क्षेत्र पंचायत कर्णप्रायाग जनपद-चमोली पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्रीमती राधा देवी - अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत

श्री देवी दत्त उनियाल प्रभारी खण्ड़ विकास

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री अशोक कुमार व.ले.प.अ.

(ii) श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री के.वी.गुरुंग., पर्यवेक्षक

(iv) श्री आशीष मालवीय व.लेखापरीक्षक

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.05.2016 से 26.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. कर्णप्रायाग,**जनपद **चमोली**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 96

भौगोलिक क्षेत्र :-- 378 वर्ग कि0मी0

जनसंख्या :39459

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 32

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 10

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 19

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 14

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : 73260906-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत कर्णप्रायाग, जनपद- चमोली** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री अर्जुन सिंह, स.ले.प.अ. एवं श्री के.वी.गुरुंग पर्यवेक्ष श्री आशीष मालवीय व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.05.2016 से 26.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**	**STAN**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**	
प्रतिवेदन स0 47/2013-14	**1,2**	**1,2**	**1,2**

प्रथम लेखा परीक्षा

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख		-

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 1(अ):- विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के मध्य प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2015-16 के तहत प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य लम्बी अवधि से अपूर्ण पड़े है जिसका विवरम निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	कार्यों की संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1.	77	विधायक निधि	88,30,000/-	97,18,000/-
2.	23	तेरहवां वित्त आयोग	12,19,000/-	9,81,639/-
3.	05	क्षेत्र पंचायत विकास निधि	3,90,000/-	2,26,775/-
4.	06	तृतीय राज्य वित्त	5,28,000/-	2,68,420/-
		कुल योग	**1,09,67,000/-**	**61,94,834/-**

उपर्युक्त अपूर्ण कार्यों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया अन्तिम माप एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण एवं ग्रा.वि.अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं किये जा सकें। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यों को एक से तीन माह के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए थे यह कार्य लम्बी अवधि से अपूर्ण पडे है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर (ब):- सांसद निधि के अन्तर्गत ` 1.00 लाख के कार्य अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत कर्ण प्रयाग को सांसद निधि से वर्ष 2012-13 से सरकारी सेरा से तलाई हरिजन बस्ती तक पेयजल पाईप लाईन व पैदल मार्ग का निर्माण के लिये ` 1.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जिसमें से दिनांक 02.01.2014 की ` 2.50 लाख की धनराशि कार्य प्रारम्भ करने के लिये दी गयी थी लेकिन क्षेत्र पंचायत द्वारा न तो कार्य प्रारम्भ किया गया न ही सम्बन्धित धनराशि सम्बन्धित विभाग को वापस की गयी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया निर्माण कार्य में विवाद होने के कारण कार्य शुरु नहीं किया गया वर्तमान में विवाद का निस्तारण कर दिया गया है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य स्थल का चयन योजना स्वीकृत से पहले किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर (स):- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना में स्वीकृत राशि ` 20.00 लाख के सापेक्ष ` 11.98 लाख व्यय उपरान्त कार्य अपूर्ण रहना।

निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड़, हलद्वानी, नैनीताल के अन्तर्गत दिंनाक 26.03.2015 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के सूची दिनांक 20.01.2015 को चयनित ग्राम पंचायत को स्वीकृत धनराशि ` 20.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त ` 10.00 लाख एवं द्वीतीय किस्त के रुप में ` 4.00 लाख अवमुक्त किया गया था। धनराशि स्वीकृति के मार्ग निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2016 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करते हुये कार्यपूर्ति एवं उपयोगिता तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करते हुये कार्यपूर्ति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**प्रथम किस्त**	**द्वितीय किस्त**	**व्यय धनराशि**
1.	अनु.जाति बस्ती से मन्दिर तक सी.सी. मार्ग सिंलगी	12.00	6.00	-	4.55
2.	अनु.जाति बस्ती में सड़क से सम्पर्क मार्ग निर्माण जिस्यारा	8.00	4.00	4.00	7.43
	योग	**20.00**	**10.00**	**4.00**	**11.98**

क्षेत्र पंचायत, कर्ण प्रयाग की अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दोनों कार्य कराने हेतु दिनांक 27.11.2015 को कार्यदेश निर्गत किया गया था एवं कार्य दो एवं तीन माह में पूर्ण किया जाना था। परन्तु ग्राम पंचायत सिंलगी में प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) उपभोग न होने के कारण द्वितीय किस्त अप्राप्त थी। इस प्रकार उपरोक्त दोनों कार्य लेखापरीक्षा तिथि (मई 2016) तक अपूर्ण थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य प्रगति पर है। अन्तिम माप होना शेष तथा द्वितीय किस्त का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है जिस कारण कार्य में विलम्ब हुआ है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य दिनांक 27.11.2015 को प्रारम्भ किया गया था एवं दो/तीन माह में पूर्ण किया जाना था।

अतः स्वीकृत धनराशि ` 20.00 लाख के सापेक्ष ` 11.98 लाख व्यय पश्चात कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 2:- श्रम उपकर का प्रावधान करके निर्माण कार्यों से कटौती कर श्रमिक कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14-680 (श्रम)2002 टी.सी.ii दिंनाक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा गठन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत अधिनियम किये गये है। जसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विहित किये गये है। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानो द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रुप में श्रम कल्याण बोर्ड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था। खण्ड़ में निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों श्रम उपकर की 01 प्रतिशत धनराशि की आंगणनों में प्रावधान कर कटौती करके श्रम कल्याण बोर्ड़ में नहीं जमा किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया आदेश के प्रति कार्यालय को प्राप्त न होने के कारण योजनाओं में 01 प्रतिशत का प्राविधान नहीं किया गया उच्चाधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 3(अ):- ` 29.96 लाख की धनराशि अनुपयोगी/अवशेष रहने के सम्बन्ध में।

जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली के पत्रांक सं. 334 क्षे.पं./तृतीय राज्य वित्त 2015-16 दिंनाक 13.08.2015 एवं 25.02.2016 को डारेक्ट इलेक्ट्रानिक के माध्यम क्षेत्र पंचायत कर्ण प्रयाग को ` 30,46,000/- की धनराशि प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी की गयी थी इस धनराशि का उपयोग निम्न कार्य हेतु किया जाना था। 1-पथ प्रकाश, 2- पेयजल योजना का अनुरक्षण, 3- स्वच्छता, 4- परिसम्पत्ति के निर्माण, 5- स्वजलधारा। इसके अतिरिक्त परिसम्पतियों के निर्माण कार्य आदि में किया जाना था।

उपरोक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया खण्ड़ द्वारा धनराशि का उपयोग नहीं किया गया जबकि इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना था लेकिन खण्ड़ द्वारा मात्र ` 49,858/- धनराशि क्षेत्र पंचायत के खाते में अवशेष ` 29,96,142/- की विकासात्मक कार्य नहीं किये गये जबकि 33 कार्यों की कार्य योजना दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया वर्तमान में समस्त कार्य के प्राक्कलन वन कर कार्यदेश निर्गत किये जा चुके है ग्रा.वि. अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण कार्य समय पर नहीं हो सकें तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कार्य नहीं हो सकें।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर (ब):- ` 7.60 लाख की धनराशि अवरुद्ध रहना।

जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली के पत्रांक संख्या 176/प. क्षेत्र पंचायत विकास निधि /2014-15 दिनांक 08 जून 2015 के द्वारा खण्ड़ विकास अधिकारी कर्ण प्रयाग को प्रथम किस्त क्षे.पं.वि. निधि ` 7,59,795/- जारी की गयी थी कि कार्य योजना तैयार करते हुये धनराशि का उपयोग एक माह के अन्दर करते हुये उपयोगिता प्रमाण सम्बन्धित विभाग को भेजा जाना था।

उपरोक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावली जाँच में पाया गया विभाग द्वारा कार्य नहीं कराये जाने के कारण धनराशि क्षेत्र पंचायत के खाते में अवरुद्ध पड़ी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया 32 कार्यों की कार्य योजना क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अनुसार क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा बनायी गयी थी धनराशि कम प्राप्त हुई 10 कार्यों का चयन समिति द्वारा किया जाना है चयन उपरान्त कार्य देश निर्गत किये जायेगा इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य को पूर्ण करने की अवधि एक माह थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर (स):- पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के ` 4.50 लाख की योजना में ` 3.23 लाख के तेरहवाँ एवं राज्य वित्त से व्यावर्तन कर कार्य कराया जाना।

किसी भी योजना पर अन्य योजना से व्यय करने का प्रावधानि नहीं है, यदि धनराशि का व्वावर्तन करना हो तो व्यय करने से पूर्ण वित्त विभाग की संस्तुति लिया जाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत तीन ग्राम पंचायत में ` 4.50 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया गया था। जिस पर पिछड़ा क्षेत्र निकास निधि से ` 1.27 लाख, तेरहवाँ वित्त से ` 1.40 लाख एवं राज्य वित्त से ` 1.83 लाख व्यय कर कार्य कराया गया था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आधार पर कार्य को कराया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि की योजनाओं पर तेहरवाँ एवं राज्य वित्त की धनराशि का व्यावर्थन कर कार्य नहीं कराया जाना था।

अतः ` 4.580 लाख के निर्माण कार्य पर ` 3.23 लाख की धनराशि का व्यावर्तन करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>अनुलंग्नक</u>

पिछडा क्षेत्र विकास निधि के योजना में 13वाँ वं राज्य वित् के धनराशि व्यावर्तन कर कार्य कराया जाने का विवरण-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**कार्य की लागत**	**पि.क्षे.वि.नि.**	**13वाँ वित्त**	**राज्य वित्त**
1.	आंगनबाड़ी के निर्माण, बणगांव	2.50	0.67	-	1.83
2.	स्नानागार निर्माण खिलगाँव सिरण	1.00	0.30	0.70	-
3.	महिला प्रसुति गृह निर्माण सिनखाल बसक्वाली	1.00	0.30	0.70	-
	योग	**4.50**	**1.27**	**1.40**	**1.83**

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 4:- ` 7.00 लाख का कार्य दो निविदा प्राप्त कर कराया जाना।

पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में प्रत्येक आंगनबाड़ी को ` 3.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इकाई द्वारा कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा आमन्त्रित किया गया था एवं न्यून्तम निविदातों को कार्य प्रारम्भ करने के लिये कार्यदेश जारी किया गया था जिनका विवरण निम्न प्रकार से है-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**कार्य की लागत**	**देय जमानत की राशि**	**ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की राशि**	**जमानत की राशि कम जमा करना**
1.	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण ग्रा.पं. नैणी	3.50	0.35	0.27	0.08
2.	आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण ग्रा.पं. किमोली	3.50	0.35	0.07	0.28
	योग	**7.00**	**0.70**	**0.34**	**0.36**

क्षेत्र पंचायत, कर्ण प्रयाग की अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त कार्यों पर दो निविदा प्राप्त कर कार्य कराया गया, जबकि कम से कम तीन निविदा प्राप्त कर कार्य कराया जाना था तीन निविदा प्राप्त कर कार्य कराया जाना था जससें इकाई को प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ मिल सकें। इस प्रकार उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय-2 के नियम-12(2)(3) एवं अध्याय-3 के नियम-27(1) का उल्लघंन था। इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय कार्य की लागत का 10 प्रतिशत धरोहर राशि ` 0.34 लाख प्राप्त कर कार्य सौंपा गया था। उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के अध्याय-2 के नियम-21 के विपरीत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि खुली निविदा आमंत्रित की गयी थी जिस पर दो निविदादाता द्वारा भाग लिया गया था, न्यूनतम निविदादाता से विभागीय दर पर कार्य कराया गया था। कार्य की शीघ्रता एवं आवश्यकता को देखते हुये न्यूनतम निविदा के आधार पर

कार्य कराया गया था तथा धरोहर राशि के संबंध मे अवगत कराया गया कि शेष धनराशि ठेकेदार के प्रथम बिल से कटौती कर ली जाएगी एवं भविष्य मे धरोहर की पूर्ण धनराशि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ली जाएगी।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन नही किया गया था।

अतः ` 7.00 लाख का कार्य दो निविदा प्राप्त कर एवं धरोहर राशि की पूर्ण धनराशि लिए बिना ही कार्य कराये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 5:- इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ` 75,000/- के व्यय के बावजूद निर्माण कार्य के अपूर्ण रहना।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित लाभार्थियों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त निर्गत की गयी परन्तु निर्माण कार्य अब तक अपूर्ण है।

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	श्रीमती पार्वती देवी w/o श्री महिताव सिंह	75,000/-	37,500/-
2.	श्रीमती मन्दोदरी देवी w/o श्री दर्शन सिंह	75,000/-	37,500/-
	योग	**1,50,000/-**	**75,000/-**

उपरोक्त सम्बन्ध में लेखापरीक्षा दवारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दोनों लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया।

प्रकरण शीघ्र कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन किया जा रहा है।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 6:- ब्याज की धनारशि ` 19.53 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन प्रमुख सचिव वित्त के पत्रांक 247 वि.आ निदेशक (तृ.रा.वि.आ.) 2013 दिंनाक 17.01.2013 विभिन्न योजना तथा राज्य वित्त आयोग, केन्द्रिय वित्त आयोग, क्षेत्र पंचायत विकास निधि, विधायक निधि, सांसद निधि पी.एम.जी.एस.वाई. मनरेगा आदि की बची धनराशि पर अर्जित ब्याज को अविलम्ब राजकोष मं जमा कराया जाना चाहिए था।

क्षेत्र पंचायत कर्ण प्रयाग के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न योजना की धनारशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 19,52,891/- थी। जिसे शासनादेश के अनुसार राजकोष में अब तक जमा नहीं कराया गया उक्त धनराशि क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग के बैंक खातों में पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि अवशेष ब्याज की धनराशि शीघ्र राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

ब्याज की धनराशि ` 19.53 लाख राजकोष में जमा कराया जाना लेखापरीक्षा में प्रतिक्षित रहेगा।

भाग 4(ब)2

प्रस्तर 7:- कार्य अपूर्ण रहने एवं उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 की अनदेखी कर कार्य कराया जाना।

मेरा गाँव मेरी सड़क योजना का उद्देश्य अति दुर्गम क्षेत्रो की असंयोजित बसावटो को मुख्य सड़क से जोडना, आजीविका को सुधार, स्थानीय ग्रामीण को राजोगार उपलब्ध करना एवं पलायन को रोकना है। इस योजना के अन्तर्गत एख किलोमीटर तक की लम्बाई की छोटी ग्राम लिंक सडको को निर्माण करना है ताकि मुख्य सड़क से जोडा जा सकें। क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग के ग्राम पंचायत ऐखाड़ी के अन्तर्गत ग्राम सिरपा को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सिलायाणाधार से रैमगरा होते हुये सीरी सिरपा तक हलका वाहन सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु योजना का चयन किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा दिंनाक 31.10.2015 को ` 39.92 लाख स्वीकृत किया गया था। जिसमें राज्याशं से ` 17.50 लाख एवं मनरेगा अशं से ` 22.42 लाख अवमुक्त किया गया था। क्षेत्र पंचयात द्वारा दिंनाक 02.12.2015 को कार्यादेश निर्गत किया गया था एवं दिंनाक 31.03.2016 तक कार्य पूर्ण किया जाना था।

क्षेत्र पंचायत, कर्ण प्रयाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्य की लागत ` 39.92 लाख के सापेक्ष `11.74 लाख व्यय उपरान्त लेखापरीक्षा तिथि (मई 2016) तक अपूर्ण था। क्षेत्र पंचायत कार्यदायी संस्था होने के कारण राज्याशं से ` 17.50 लाख एवं मनरेगा से ` 22.42 लाख यगपितिकरण से कार्य कराया गया था। जो उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमवाली 2008 का अनदेखी की गई थी, क्योंकि नियमावली में ` 5.00 लाख से अधिक के कार्य को निविदा आमन्त्रित कर कार्य कराया जाना था।

अतः कार्य अपूर्ण रहने एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम-43(घ) की अनदेखी कर कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- कर्णप्रायाग, जनपद- चमोली** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय